

(राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार पत्रों/टी.वी. में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किये गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत रांघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम : इंडियन नेशनल कांग्रेस
निर्वाचन का नाम : 166 (अ.जा.) आगर
राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम : मध्यप्रदेश

1.	2.	3.	4.	5.		
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम मामले की सं. एवं मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (ए) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण
1	श्री विपिन वानखेड़े	166 आगर मालवा	अप.क्र. -340/20 पुलिस थाना आगर विवेचनाधिनि	भारतीय दंड संहिता की धारा 188 वगैर अनुमति प्रदर्शन के लिए भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना।	श्रीमान जयंत शर्मा साहब विशेष न्यायाधीश (एम. पी. /एम. एल.ए.) एवं इक्कीस वें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल निर्णय दिनांक 06.10. 2023	भादस की धारा 147 के अपराध के लिए 6 माह के साधारण कारावास एवं 1000 रु. का अर्थदंड। भादस की धारा 325/149 के अपराध के लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रु. का अर्थदंड।
2	श्री विपिन वानखेड़े	166 आगर मालवा	अप.क्र. -455/20 पुलिस थाना आगर विवेचनाधिनि	भारतीय दंड संहिता की धारा 188 वगैर अनुमति समा को संबोधित करते हुए भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है

3	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	श्रीमान विधान माहेश्वरी साहब, माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, भोपाल एस.सी.पी.पी.एम. - 147/19 विचाराधीन	भारतीय दंड संहिता की धारा 341,147,336 बगैर अनुमति अवैध जमाव के साथ दुसरों के वैयक्तिक क्षेम को संकटापन्न करना, चक्काजाम करना।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
4	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	श्रीमान जयंत शर्मा साहब, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल एस.सी.पी.पी. एस.-2/22 विचाराधीन	भारतीय दंड संहिता की धारा 353,332,147,325,326 बगैर अनुमति अवैध जमाव के साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर शासकीय सेवक को स्वेच्छया उपहति एवं घोर उपहति कारित करना।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
5	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	श्रीमान सुरेश यादव साहब माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, इंदौर एस.सी.पी.पी.एम. - 169/21 विचाराधीन	भारतीय दंड संहिता की धारा 353,147,186,189 बगैर अनुमति प्रदर्शन, अवैध जमाव के साथ लोकसेवक के शासकीय कार्य में बाधा।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
6	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	श्रीमान विधान माहेश्वरी साहब, माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, भोपाल फौ.प्र.क्र. -12647/15 विचाराधीन	भारतीय दंड संहिता की धारा 336,186,147 बगैर अनुमति प्रदर्शन, अवैध जमाव के साथ दुसरों के वैयक्तिक क्षेम को संकटापन्न करना, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
7	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	अप.क्र. -643/21 पुलिस थाना आगर विवेचनाधीन	भारतीय दंड संहिता की धारा 353,269,270,188,143,147,149 अवैध जमाव के साथ बगैर अनुमति प्रदर्शन करते हुए शासकीय कार्य में बाधा।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
8	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	श्रीमान मनमोहन सिंह कोरव साहब, न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम	भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,186,188,332,336 बगैर अनुमति प्रदर्शन करना, अवैध जमाव के साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर शासकीय सेवक को स्वेच्छया उपहति	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है

			श्रेणी, जबलपुर फौ.प्र.क्र. -8409/17 अभ्यर्थी की विवेचना जारी है।	कारित करना।		
9	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	श्रीमान विधान माहेश्वरी साहब, माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, भोपाल एस.सी.पी.पी. एम-184/21 विचाराधिन	भारतीय दंड संहिता की धारा 147,152,186 विधि विरुद्ध जगाय का सदस्य होना, लोक सेवक पर अपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देना तथा लोक सेवक के लोककृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालना।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
10	श्री विपिन वानखेड़े	168 आगर मालवा	श्रीमान देवेन्द्र कुमार कुंदु, माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, ग्वालियर स.प्र.क्र. 178/20 (प्रकरण में अभ्यर्थी के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विवेचना जारी है।)	भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,353,186,332,333 बगैर अनुमति प्रदर्शन, लोक सेवक के लोककृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, अवेध जमाव, शासकीय कार्य में बाधा, लोक सेवक को स्वेच्छया उपहति कारित करना।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है

राज्यसभा के निर्वाचन या विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

- टिप्पणी (i) उपर्युक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिये राज्य-वार प्रकाशित की जावेगी।
(ii) समाचार पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।